UTTARAKHAND

# कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
# प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
## रूद्रप्रयाग

उत्तराखण्ड शासन

Website-http://pwd.uk.gov.in Fax: 01364-233204, E-mail ID: eepwd_rpg@rediffmail.com

पत्र संख्या 2300 / 16 मा० दिनांक 10/9/2020

सेवामें,

भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून।

विषय– **जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत सुमाडी विराणगांव जाखाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.775 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण (पत्रावली संख्या FP/UK/ROAD/38667/2019)।**

सन्दर्भः– **आपका पत्र संख्या 8बी/यूसीपी/06/36/2020/एफसी/2969 दिनांक 19.03.2020।**

महोदय,

खण्ड के अन्तर्गत लाउडी लडियासू–जाखाल मोटर मार्ग (पत्रावली संख्या FP/UK/ROAD/35247/2018) एवं सुमाड़ी विराणगांव जाखाल मोटर मार्ग (पत्रावली संख्या FP/UK/ROAD/38667/2019) नाम से दो भिन्न स्वीकृतियां प्राप्त है। प्राप्त स्वीकृतियों के सापेक्ष खण्ड द्वारा अनुमोदित संरेखण के अनुरूप वनभमि पत्रावलियों गठित कर स्वीकृति हेतु ऑन लाइन अपलोड की गयी। अपलोड की गयी पत्रावलियों के सन्दर्भ में भारत सरकार द्वारा इंगित किया गया, कि दोनों मोटर मार्ग ग्राम लडियासू को संयोजित करते है। अतः किसी एक ही मार्ग की वनभूमि पत्रावली गठित कर स्वीकृति हेतु प्रेषित की जाय। अन्य पत्रावली को निरस्त किया जाए। इस क्रम में खण्ड द्वारा स्थानीय जिला प्रशासन के सम्मुख उक्त परिस्थितियों को व्यक्त किया गया। जिलाधिकारी महोदय द्वारा उक्त प्रकरण का संज्ञान लेते हुए अपने पत्रांक 1264/26विविध दिनांक 09.12.2019 द्वारा उपजिलाधिकारी जखोली को दोंनो मोटर मार्गों का निरीक्षण कर उपयुक्त मोटर मार्ग की संस्तुति सहित आख्या देने हेतु निर्देशित किया गया। प्राप्त निर्देशों के क्रम में उपजिलाधिकरी महोदय द्वारा पत्रांक 322/एस.टी.–विविध–20 दिनांक 21.01.2020 द्वारा आख्या जिलाधिकरी महोदय को प्रेषित की गयी। उपजिलाधिकारी महोदय से प्राप्त आख्या के क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा अपने पत्रांक 1896/26–वि0/2018–19 दिनांक 04.02.2020 से लाउ़डी लडियासू जाखाल मोटर मार्ग की वनभूमि पत्रावली पर अग्रिम कार्यवाही हेतु खण्ड को निर्देशित किया गया। प्राप्त निर्देशों के क्रम में खण्ड द्वारा लाउडी लडियासू–जाखाल मोटर मार्ग की वनभूमि प.ावली को संस्तुति सहित आनलाइन अग्रेसित किया गय।

कालान्तर में ग्राम सेमा एवं विराणगांव के ग्रामीणों के मध्य संरेखण विवाद, आपसी सहमति से सुलझने के उपरान्त जिलाधिकारी महोदय द्वारा पत्रांक 30513/31विविध (2019–20) दिनांक 04.06.2020 द्वारा उपजिलाधिकारी महोदय को पुनः दोनों मोटर मार्गों का स्थलीय निरीक्षण कर आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। प्राप्त निर्देशों के क्रम में उपजिलाधिकारी जखोली द्वारा पुनः

दोनों मोटर मार्गों का स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में निरीक्षण किया गया। सभी सम्बन्धित ग्राम सभाओं की उपस्थिति के उपरान्त उपजिलाधिकारी महोदय द्वारा "सुमाड़ी विराणगांव जाखाल मोटर मार्ग" जो कि समस्त प्रश्नगत ग्राम सभाओं को लाभान्वित करता है, की संस्तुति अपने पत्रांक 484/एस.टी.–विविध–2020 दिनांक 03.07.2020 द्वारा दी गयी।

उपजिलाधिकारी महोदय की आख्या के क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा पुनः दिनांक 15.07.2020 को बैठक आयोजित की गयी, जिसमें सम्बन्धित दोनों मार्गों के समस्त जनप्रतिनिधि (जिला पंचायत सदस्य सुमाडी भरदार, क्षेत्र पंचायत सदस्य तुनेटा भरदार, प्रधान ग्राम पंचायत लडियासू/सेमा/डांगी जाखाला/डांगी भरदार एवं अन्य जनप्रतिनिधि) उपस्थित थे। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि उपजिलधिकारी महोदय की आख्या के आधार पर सुमाडी विराणगांव जाखाल मोटर मार्ग निर्माण हेतु अग्रिम कार्यवाही की जाए, परन्तु साथ ही सेमा, विराणगांव, एवं कर्णधार (तुनेटा) के प्रधानगणों को निर्देशित किया गया कि एक सप्ताह के अन्तर्गत मोटर मार्ग निर्माण में काटी जाने वाली भूमि के स्वामियों का अनापत्ति /शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए। अनापत्ति /शपथ पत्र प्रस्तुत न करने की दशा में लाउडी लडियासू जाखाल मोटर मार्ग पर अग्रिम कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के अनुपालन में समस्त सम्बन्धित ग्राम प्रधानों द्वारा अनापत्ति पत्र ग्राम पंचायत सेमा के पत्रांक मेमो दिनांक 18.07.2020 द्वारा समयान्तर्गत प्रस्तुत किए गये। अनापत्ति पत्र प्राप्त होने के उपरान्त जिलाधिकारी महोदय के पत्र संख्या 316/पी.ओ. /2019–20 दिनांक 18.07.2020 द्वारा उक्त अनापत्ति पत्र का स्थलीय सत्यापन करने हेतु उपजिलाधिकारी जखोली एवं खण्ड को निर्देश दिये गये। प्राप्त निर्देशों के क्रम में उपजिलाधिकारी महोदय द्वारा अनापत्ति पत्र की स्थलीय सत्यापन आख्या तहसीलदार जखोली के पत्र संख्या 122/टी.ओ./विविध–2020–21 दिनांक 25.07.2020 को अग्रसारित कर जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित की गयी। स्थल सत्यापन आख्या प्राप्त होने के उपरान्त जिलाधिकारी महोदय द्वारा अपने पत्र संख्या 5008/24–01 (2019–20) दिनांक 14.08.2020 द्वारा सुमाडी विराणगावं जाखाल मोटर मार्ग पर अग्रिम कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।

अतः उक्त सम्बन्धित प्रकरण पर जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के अनुपालन में सुमाडी विराणगांव जाखाल मोटर मार्ग (पत्रावली संख्या FP/UK/ROAD/38667/2019) की वनभूमि पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

18-08-2020

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग।

प्रति– जिलाधिकारी महोदया, रूद्रप्रयाग।

अधि० अभि०
18-08-2020
अधि–अभि०
प्रा०ख० लो०नि०वि०

2508 | 16c
23/12/19

# कार्यालय जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।

संख्याः 1264 /26–विविध/(2014–15)/ दिनांक : रूद्रप्रयाग : दिसम्बर, 20, ,2019

उप वन संरक्षक,
रूद्रप्रयाग
वन प्रभाग रूद्रप्रयाग।

विषयः **लम्बित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों के निस्तारण हेतु त्वरित कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।**

अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 13.12.2019 (शुक्रवार) को वन भूमि हस्तान्तरण सम्बन्धी बैठक में यह तथ्य प्रकाश में लाये गये है कि, निम्नलिखित मोटर मार्गों/योजनाओं के वन भूमि हस्तान्तरण सम्बन्धी गठित प्रस्तावों पर वन विभाग/प्रस्तावक विभाग द्वारा यथाशीघ्र अग्रेत्तर कार्यवाही न करने सें गठित प्रस्ताव लम्बित चले आ रहे है। वन भूमि हस्तान्तरण में हो रहे विलम्ब से कतिपय मोटर मार्ग एवं अन्य विकास योजनाओं के निर्माण करवाने में अनावश्यक विलम्ब होने पर आम जनता एवं जन प्रतिनिधियों में असन्तोष व्याप्त हो रहा है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्न मोटर मार्गों के वन भूमि हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रस्तावों पर प्रभाग स्तर/प्रस्तावक विभाग स्तर से तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है, इन मोटर मार्गों का विवरण निम्नवत् है:–

| क्र0 सं0 | प्रस्तावक विभाग | योजना का नाम | निस्तारण हेतु की जानी वाली कार्यवाही। |
|---|---|---|---|
| 1. | प्रा0ख0लोक निर्माण विभाग. रूद्रप्रयाग। | बधाणीताल छेनागाड मोटर मार्ग। | प्रस्तावक विभाग एक सप्ताह अन्दर कार्य शुरू करवायेंगे। |
| 2. | –ऐ– | सुपांणा धारी से भरदार–खरगैड तक मोटर मार्ग। | प्रस्तावक विभाग द्वारा एक सप्ताह अन्दर आपत्ति का निस्तारण किया जाना है। |
| 3. | –ऐ– | अगस्त्यमुनि–डोभा–गणेशनगर मोटर मार्ग। | प्रस्तावक विभाग 02 सप्ताह अन्दर निर्माण कार्य पूर्ण करेंगे। |
| 4. | –ऐ– | घनसाली–मयाली मोटर मार्ग। | प्रस्तावक विभाग 01 सप्ताह अन्दर टेण्डर प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। |
| 5. | –ऐ– | ग्राम पंचायत मयाली मोटर मार्ग। | प्रस्तावक विभाग एक सप्ताह अन्दर डी0पी0आर0 तैयार कर भेंजगे। |
| 6. | –ऐ– | ग्राम सभा भौसाल चौण्ड–तिनसी मोटर मार्ग। | –ऐ– |
| 7. | –ऐ– | छेनागाड–बक्सीर मोटर मार्ग के मथ्यागांव से उछोला मोटर मार्ग। | प्रस्तावक विभाग एक सप्ताह अन्दर मोटर मार्ग कटिंग कार्य पूर्ण करेंगे। |
| 8. | –ऐ– | मणिगुह मोटर मार्ग से स्याल डोभा होते हुए खाली–खमोली मोटर मार्ग। | प्रस्तावक विभाग द्वितीय चरण की डी0पी0आर0 तैयार कर इसी माह भारत सरकार को भेजेगें। |
| 9. | –ऐ– | मयाली–गुप्तकाशी यात्रा मार्ग के किमी0 13.50 में पुल से पाण्डवथली–उच्छोला माना मोटर मार्ग। | प्रस्तावक विभाग टेण्डर प्रक्रिया पूर्ण करेंगे तथा सैद्धांन्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन करेंगे। |
| 10. | –ऐ– | गेरपा रा0इ0का0 कैलाशनगर होते हुए अनु0बस्ती<br>बड्डूवाल–फार्म–भौसा–छकुण्डागाड तक मोटर मार्ग। | प्रस्तावक विभाग एक सप्ताह अन्दर डी0पी0आर0 तैयार कर भेजगें। |
| 11. | –ऐ– | ककोड़ाखाल से नाग मोटर मार्ग। | प्रस्तावक विभाग मोटर मार्ग का समरेखण विवाद का निस्तारण करेगें। |
| 12. | –ऐ– | रतनपुर– दरमोला मोटर मार्ग से ग्राम सेम डुंग्री तक मोटर मार्ग। | प्रस्तावक विभाग भारत सरकार द्वारा लगायी गयी अपत्तियों का निस्तारण करेगें। |

Sri Nautiyal
21/12

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13. | –ऐ– | जाखणी से टेण्डवाल गांव मोटर मार्ग। | प्रस्तावक विभाग 02 सप्ताह अन्दर अपत्तियों का निस्तारण करेंगे। |
| 14. | –ऐ– | माई की मण्डी जवाड़ी बाई पास से काला पहाड भेंट थापली खीडा तक मोटर मार्ग। | प्रस्तावक विभाग 01 सप्ताह अन्दर निस्तारण करेंगे। |
| 15. | –ऐ– | राज्य योजना अर्न्तगत (मा0 मुख्यमंत्री घोषणा) रा0इ0का0 चमकोट तक मोटर मार्ग। | प्रस्तावक विभाग 02 सप्ताह अन्दर जांच कर निस्तारण करेंगे। |
| 16. | **लोक निर्माण विभाग, ऊखीमठ।** | गैडर से बष्टी गडगू मोटर मार्ग। | प्रस्तावक विभाग एक सप्ताह अन्दर डी0पी0आर0 तैयार कर भेंजगे। |
| 17. | –ऐ– | मस्तूरा से दैडा ऐलौपैथिक चिकित्सालय तक मोटर मार्ग। | प्रस्तावक विभाग एक सप्ताह अन्दर डी0पी0आर0 तैयार कर भेंजगे। |
| 18. | –ऐ– | दुलाधार गणेशनगर मोटर मार्ग के किमी0 12.00 पर गोल्डी गदेरे से बांजगडगू मोटर मार्ग। | प्रस्तावक विभाग एक सप्ताह अन्दर प्रस्ताव को अपलोड तैयार कर भेंजगे। |
| 19. | –ऐ– | जाल बैण्ड से चिलौण्ड तक मोटर मार्ग। | प्रस्तावक विभाग यह योजना मा0 मुख्यमंत्री घोषणा है इस योजना को जिला योजना से हटाकर राज्य सेक्टर के अर्न्तगत प्रस्ताव भेजेंगे। इस सम्बन्ध में प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी के माध्यम से **सचिव, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन को** भेजगें। |
| 20. | –ऐ– | हाट–बष्टी मोटर मार्ग को एन0एच0–107 से जोडने के लिए मन्दाकिनी नदी पर लौह सेतु निर्माण हेतु। | प्रस्तावक विभाग 01 सप्ताह अन्दर अपत्तियों का निस्तारण करेंगे। |
| 21. | –ऐ– | क्यार्क–बरसू–भैंरो बैण्ड से जमेथ्री तक मोटर मार्ग। | प्रस्तावक विभाग आई0टी0 सेल से डिजिटल मैप तैयार कर अपलोड करेंगे। |
| 22. | **पी0एम0जी0एस0वाई रूद्रप्रयाग।** | गुलाबराय–तुना मोटर मार्ग किमी0 2.00 से चिनग्वाड मोटर मार्ग (लम्बाई 10.00 किमी0) के नव निर्माण। | प्रस्तावक विभाग एवं उप वन संरक्षक रूद्रप्रयाग के साथ संयुक्त स्थलीय निरीक्षण होना है। |
| 23. | –ऐ– | नगरासू डांडाखाल मोटर मार्ग से मोलजा खरकोटा मोटर मार्ग। | –ऐ– |
| 24. | –ऐ– | एक्स सन से बज्यूण मोटर मार्ग। | प्रस्तावक विभाग 01 सप्ताह अन्दर अपत्तियों का निस्तारण करेंगे। |
| 25. | –ऐ– | जावरी से केड़ा मल्ला मोटर मार्ग। | प्रस्तावक विभाग एवं उप वन संरक्षक रूद्रप्रयाग के साथ संयुक्त स्थलीय निरीक्षण होना है। |
| 26. | –ऐ– | ऊखीमठ–उनियाणा मोटर मार्ग के किमी0 4.00 से पाली सरूणा किमी0 6.00 तक मोटर मार्ग। | –ऐ– |
| 27. | **पी0एम0जी0एस0वाई जखोली।** | तिलवाड़ा–सौंराखाल मोटर मार्ग के किमी0 20 से सकन्याणा तक मोटर मार्ग। | प्रस्तावक विभाग सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन कर आख्या यू0आर0आर0डी0को भेंजे । |
| 28. | –ऐ– | सेमलता से कफना–सतनी मोटर मार्ग के नव निर्माण। | प्रस्तावक विभाग द्वारा मोटर मार्ग डिजिटल नक्शा बनाया जाना है। |
| 29. | –ऐ– | सेमलता–कफना मोटर मार्ग। | प्रस्तावक विभाग एवं उप वन संरक्षक रूद्रप्रयाग के साथ संयुक्त स्थलीय निरीक्षण होना है। |
| 30. | **उत्तराखण्ड पेयजल निगम।** | अगस्त्यमुनि नगर पंचायत पेयजल योजना। | प्रस्तावक विभाग प्रभाग से समन्वय स्थापित कर अपत्तियों को एक सप्ताह अन्दर निस्तारण करायें। |
| 31. | –ऐ– | तिलवाड़ा नगर पंचायत पेयजल योजना। | –ऐ– |
| 32. | –ऐ– | रूद्रप्रयाग नगर पम्पिंग योजना। | –ऐ– |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 33. | प्रधानाचार्य, रा0औ0प्र0सं0 रूद्रप्रयाग। | रा0औ0प्र0 संस्थान अगस्त्यमुनि। | प्रस्तावक विभाग लम्बित प्रकरण का निस्तारण करेंगे तथा इस सप्ताह के शुकवार को 3:00 बजे सांय पूर्ण जानकारी सहित बैठक में उपस्थित होंगे। |
| 34. | विद्युत वितरण खण्ड रूद्रप्रयाग। | श्री कार्तिक स्वामी मन्दिर के विद्युतीकरण हेतु 11 के0वी0 पारेषण लाईन। | प्रस्तावक विभाग 01 सप्ताह अन्दर आपत्तियों का निस्तारण करेंगे। |
| 35. | मत्स्य विभाग | ग्राम गैड के राजस्व ग्राम मादली में ट्राउच हैचरी/बूडर बैंक का निर्माण। | प्रस्तावक विभाग प्रभाग से समन्वय स्थापित कर आपत्तियों को एक सप्ताह अन्दर निस्तारण करायें। |

अतः प्रभाग स्तर पर लम्बित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों पर यथाशीघ्र कार्यवाही करते हुए प्रत्येक शुकवार को आयोजित होने वाली वन भूमि हस्तान्तरण की बैठक में अध्यावधिक स्थिति से अवगत करना सुनिश्चित करें।

ह0/-
जिलाधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– उप जिलाधिकारी जखोली को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि, लावड़ी–लड़ियासू–जाखाल मोटर मार्ग एवं सुमाड़ी–विराणगांव–जाखाल मोटर मार्ग निर्माण दोनों मोटर मार्ग में से कौन सा मोटर मार्ग अति आवश्यक है के सम्बन्ध में प्रस्ताव विभाग एवं ग्राम वासियों के साथ एक आवश्यक बैठक करें।

2– अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग रूद्रप्रयाग/ऊखीमठ।
3– अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई रूद्रप्रयाग/जखोली।
4– प्राधानाचार्य, राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता रूद्रप्रयाग।
5– प्राधानाचार्य, रा0औ0प्र0 संस्थान रूद्रप्रयाग।
6– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड रूद्रप्रयाग।
7– जनपद प्रभारी मत्स्य अधिकारी, रूद्रप्रयाग।

जिलाधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

-11

OC|FA|A0(1)
24/1/2020

प्रेषक,

उप जिलाधिकारी,
जखोली ।

सेवा में,

जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग ।

संख्या–329 / एस0टी0–विविध–2019 दिनांक, 21 जनवरी 2020

विषय :– लावड़ी–लड़ियासू–जाखाल मोटर मार्ग तथा सुमाड़ी–विराणगांव मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में आख्या का प्रेषण ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या–1264 / 26–विविध (2014–15) दिनांक 20 दिसम्बर 2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो उप वन संरक्षक रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्रप्रयाग को सम्बोधित एवं अन्यों के साथ अधोहस्ताक्षरी को पृष्ठांकित है, के द्वारा लावड़ी–लड़ियासू–जाखाल मोटर मार्ग एवं सुमाड़ी–विराणगांव–जाखाल मोटर मार्ग निर्माण दोनों मोटर मार्ग में से कौन सा मोटर मार्ग अति आवश्यक है, के सम्बन्ध में प्रस्ताव विभाग एंव ग्रामवासियों के साथ एक आवश्यक बैठक कर आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं ।

उक्त के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 18–01–2020 को लावड़ी–लड़ियासू–विराणगांव–जाखाल मोटर मार्ग एवं सुमाड़ी –विराणगांव –जाखाल मोटर मार्ग निर्माण विषयक स्थान सुमाड़ी में एक आवश्यक बैठक आहूत की गयी, जिसमें ग्राम–सेमा, लड़ियासू, विराणगांव, जाखाल के जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, गणमान्य व्यक्तियों को आमन्त्रित किया गया तथा दोनों मोटर मार्गो के निर्माण के सम्बन्ध में उनके मन्तव्य को जाना गया । कौन सा मोटर मार्ग जनहित में अति आवश्यक है । इस बिन्दुं पर राय ली गयी /मन्तव्य जाना गया ।

लावड़ी–लड़ियासू–विराणगांव–जाखाल मोटर मार्ग निंर्माण के सम्बन्ध में अधिकाश जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा गणमान्य व्यक्तियों द्वारा इस बात पर बल दिया गया कि उक्त मोटर मार्ग बनने से ग्राम–सेमा, लड़ियासू–विराणगांव–जाखाल की जनता लाभान्वित होगी, क्यों कि इस मोटर मार्ग की दूरी मात्र 06 किमी0 होगी तथा उक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु ग्राम–सेमा, लड़ियासू, लावड़ी व विराणगांव के जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकतओं, गणमान्य व्यक्तियों द्वारा अपनी सहमति दी गयी है (जो सलग्न है)

बैठक में उपस्थित कतिपय लोगों द्वारा सुमाड़ी–विराणगांव–जाखाल मोटर मार्ग को ही बनाए जाने की बात कही गयी है तथा लावड़ी–लड़ियासू–विराणगांव–जाखाल मोटर मार्ग निर्माण पर अपनी आपत्ति व्यक्त की गयी । ( जो सलग्न है)

बैठक में उपस्थित ग्राम–सेमा, लड़ियासू, विराणगांव के जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, गणमान्य व्यक्तियों का मन्तव्य / राय जानने के पश्चात अधोहस्ताक्षरी के समक्ष मुख्यतः दो बिन्दु उभर कर आए हैं :–

1– लावड़ी–लड़ियासू–विराणगांव–जाखाल मोटर मार्ग 3.800 किमी0 स्वीकृत है । उक्त मोटर मार्ग बनने से ग्राम–सेमा, लड़ियासू व विराणगांव की जनता लाभान्वित होगी तथा मोटर मार्ग की कटिंग से कम वृक्षों का पातन होगा तथा मोटर मार्ग की दूरी भी कम होगी ।

2– यदि स्थान सुमाड़ी (द्वारिका धाम से ) सुमाड़ी–विराणगांव–जाखाल मोटर मार्ग का निर्माण किया जाता है तो उसकी दूरी लगभग 9 किमी0 होगी । मोटर मार्ग की

लागत भी अधिक होगी तथा मोटर मार्ग की कटिग से अधिक वृक्षों का भी पातन होगा । अधिकांश लोग इस मोटर मार्ग के पक्ष में नही है ।

क्षेत्रीय जनता की परेशानियों को दृष्टिगत रखते हुए अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि लावड़ी–लड़ियासू–विराणगांव–जाखाल मोटर मार्ग एवं सुमाड़ी –विराणगांव–जाखाल मोटर मार्ग में से लावड़ी–लड़ियासू–विराणगांव–जाखाल मोटर मार्ग का जनहित में निर्माण किया जाना उचित होगा, जिससे ग्राम–सेमा, लड़ियासू व विराणगांव की जनता लाभान्वित होगी

अतः आख्या सादर सेवा में प्रेषित ।

भवदीय,

(एन0एस0 नगन्याल )
उप जिलाधिकारी,
जखोली ।

257/16(A)
7/02/2020

# कार्यालय जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।

संख्याः 1896 /26–विविध/(2018–19)/ दिनांकः रूद्रप्रयाग : फरवरी, 04, 2020

अधिशासी अभियन्ता,
लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग।

विषयः **लावड़ी–लड़ियासू मोटर मार्ग तथा सुमाड़ी–विरांणगांव मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त विषयक, उप जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग का पत्रांक संख्या 322/एस0टी0 –विविध –2019 दिनांक 21 जनवरी, 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया है कि, जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 13.12.2019 को वन भूमि हस्तान्तरण बैठक में लावड़ी–लड़ियासू–जाखाल मोटर मार्ग एवं सुमाड़ी–विरांणगांव–जाखाल मोटर मार्ग निर्माण में कौन–सा मोटर मार्ग अतिआवश्यक है इसके सम्बन्ध में प्रस्तावक विभाग एवं ग्रामवासियों के साथ आवश्यक बैठक कर विस्तृत आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये थे।

प्रश्नगत प्रकरण पर उप जिलाधिकारी जखोली ने अपने पत्र दिनांक 21 जनवरी, 2020 के द्वारा अवगत कराया है कि, जनहित में लावड़ी–लड़ियासू–जाखाल मोटर मार्ग का निर्माण कराया जाना उचित होगा जिससे ग्राम सेमा, लडियासू व विरांणगांव की जनता लाभन्वित होगी।

अतः उप जिलाधिकारी, जखोली की जांच आख्या एवं क्षेत्रीय ग्रामवासियों का प्रस्ताव संलग्न कर इस आशय से भेजा रहा है कि, प्रकरण पर तत्काल आवश्यक कार्यवाही कर कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें।

**संलग्न–यथोपरि।**

जिलाधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

**प्रतिलिपि–** उप वन संरक्षक, वन प्रभाग रूद्रप्रयाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Sri Nautiyal 06-02

EE 6/2

Photo Copy given to Amit Kumar

जिलाधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

सेवामें,

अधिशासी अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग
रूद्रप्रयाग।

विषयः— स्वीकृत लाउडी लडियासू एवं सुमाडी विराणगांव जाखाल मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ— आपका पत्र संख्या 12/16 दि० 01/01/2020

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि आपके खण्ड के अन्तर्गत लाउडी लडियासू मोटर मार्ग की स्वीकृति प्राप्त है जिससे हम लोग (ग्राम सेमा) लाभान्वित हो रहे हैं, जिसकी वनभूमि पत्रावली भारत सरकार पर विचाराधीन है। खण्ड के अन्तर्गत एक अन्य मोटर मार्ग सुमाडी विराणगांव जाखाल मोटर मार्ग भी स्वीकृति प्राप्त है। जिससे भी हम लोग (ग्राम सेमा) लाभान्वित हो रहे हैं, परन्तु सुमाडी विराणगांव जाखाल मोटर मार्ग का समरेखण सुमाडी की ओर से किया गया है, जिस कारण हमे अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ेगी। इस हेतु आपसे आग्रह है कि हमें लाउडी लडियासू मोटर मार्ग से जोड़े जाने की कृपा करें। इस हेतु हम समस्त ग्रामवासी अपनी सहमति एवं अनापत्ति व्यक्त करते हुए समस्त ग्रामवासियों द्वारा हस्ताक्षरित अनापत्ति प्रमाण पत्र आपको प्रेषित कर रहे हैं।

भवदीय

समस्त ग्रामवासी
सेमा, विकासखण्ड जखोली
जनपद रूद्रप्रयाग।

(1) विश्वम्भर दत्त 9639006731
(2) जीतराम सेमवाल 9149908443
3- जगदीश प्रसाद — 8780320869
4 अंजली
5 सीता देवी
(6) DivyA
(7) सविता देवी
(8) कमला देवी
(9) सुनीता देवी
(10) शोभा देवी
(11) अनिता देवी
(12) हीरा देवी — 7830275580
(13) Vijay
(14) Ashish kumar_7819072948
(15) Ankush — 9627496619
(16) G~ [illegible] 761813057
(17) भगतानन्द
(18)
(19) चन्डी प्रसाद 7060457657
(20) विशेश्वर दत्त
(21) सागर सेमवाल 9536710040
(22) नन्दा देवी 9756961457
(23) अंकुश गौड़
(24) [illegible]
(25)
26 पूजा देवी
रिखली देवी
विद्दा देवी
सोना देवी
(27) जयनन्द प्रसाद 8800580908

सेवा में,

लो.नि.वि अधिशासी अभियंता

रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड।

**विषयः–रुद्रप्रयाग जिला के सुमाड़ी सेमा विराण गांव मोटर मार्ग लावड़ी लड़ायासू मोटर मोर्ग को जोड़ने के सम्बंध में।**

महोदय,

सविनय निवदेन है कि सुमाड़ी सेमा विराण गांव मोटर मार्ग जो विगत कई वर्षों से लंबित हैं। उसके निर्माण सम्बंध में जानकारी देना चाहते है कि सेमा गांव के नीचे जहां से सड़क का निर्माण कार्य किया जाना है वह काफी(सेंस्टिव जोन) भूस्खलन का खतरा है। इस मार्ग के निर्माण से गांव में भूस्खलन होने के कारण खतरे की जद् में आ सकता है।

महोदय से निवेदन है कि इस मार्ग की बजाय लावड़ी लड़यासू मार्ग को स्वीकृति देकर ग्राम सेमा वीरण गांव को भी इसी मार्ग से जोड़ा जाये। जिससे सेमा गांव को खतरे की जद से बचाने के साथ साथ वन पर्यावरण एंव सरकारी धन को काफी मात्रा में बचाया जा सकता है।

अतः मोहदय से निवेदन है कि लावड़ी लड़यासू विराण गांव मोटर मार्ग को स्वीकृति देकर ग्रामीण क्षेत्र की जनता के जीवन को सफल और सरल बनाने की कृपा करें।

प्रार्थी

देवेंद्र गौड़

शाह टाइम्स प्रभारी

श्रीनगर गढ़वाल।

ग्राम सेमा भरदार एंव

समस्त ग्रामीण क्षेत्रवासी

मो. न. 9758342438

3/1/2020

राजेन्द्र प्रसाद

गीता देवी

नीमा देवी

मंगला देवी

शान्तीप्रसाद

कमला देवी

सेवा में,

श्रीमान उपजिलाधिकारी जखोली
जनपद - रुद्रप्रयाग

महोदय,

आज दिनांक १४/01/2020 को उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में जो बैठक हुयी है इसमें हम सभी ग्राम वासियों की यह सहमती प्रदान करते है कि मोटर मार्ग लावडी लडियासू भारत सरकार में पहुंच चुकी है, जिसके ग्राम सेमा, भैक चलेड़ा, लडियासू के समस्त लोग सहमत है अतः अनुरोध है कि लावडी लडियासू मोटर मार्ग को स्वीकृत देने की कृपा करें, और विभाग गांव भी सड़क पहुंचाने का प्रयास किया जाये तथा

भवदीय
समस्त ग्रामवासी सदस्य

(1) प्रदीप सिंह [signature]
(2) [signature]
(3) प्रेम सिंह
(4) [signature]
(5) गीरीश लाल
(6) विक्रम सिंह
(7) दुल्लीलाल
(8) संदीप ग्राम-सेमा भरदार
(9) दिशम्बर दत्त ग्राम सेमा 9639006731 लक्ष्मीलाल ३१ [signature]
(10) धर्मेन्द्र लाल ग्राम सेमा
(11) प्रदीपसिंह बंगारी [signature]
(12) महावीर सिंह [signature]
(13) राजेश लाल ग्राम सेमा

[stamp: प्रधान ग्राम पंचायत लडियासू, ह0, दि0, विकासखण्ड जखोली (रुद्रप्रयाग)]

# अनापत्ति / सहमति पत्र

प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, जिला रूद्रप्रयाग द्वारा सुमाडी / सेमा, विराणगाँव जाखाल मोटर मार्ग हेतु अपर तिलवाडा टिहरी मोटर मार्ग संख्या 94 के पाटुलीधार तोक से मोटर मार्ग निर्माण हेतु दिनांक 18/1/2020 ग्राम सभा सेमा भरदार में एक बैठक आहूत की गई जिसमें सम्पूर्ण ग्रामवासियों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा पूर्ण रूप से सहमति दे दी गई। कि उक्त मोटर मार्ग की स्वीकृत सुमाडी / सेमा, विराणगाँव जाखाल मोटर मार्ग के नाम से स्वीकृत है। इस तोक के सिवाय अन्य तोक से ग्रामवासियों को मोटर मार्ग निर्माण मंजूर नही है। जिसका सहमति पत्र पूर्व में भी ग्रामवासियों एवं जन प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर सहित विभाग को कई बार प्रस्तुत किया गया है। पुनः सहमति दे रहे है।

अतः इस तोक से की गई सर्वे पर हम समस्त ग्रामवासी पूर्व से ही सहमत है कोई भी ग्रामसभा / क्षेत्रीय व्यक्ति निजी स्वार्थ के लिये मोटर मार्ग निर्माण में बाधा डालता है या आपत्ति करता है। तो शासन / प्रशासन अपने स्तर से उचित कार्यवाही करने की कृपा करें। जन हित को देखते हुये मोटर मार्ग का निर्माण अति शीघ्र प्रारम्भ किया जाय।

दिनांक– 18/01/2020

भवदीय

समस्त ग्रामवासियों की ओर से
सेमा भरदार, पो0 तुनेटा
जनपद रूद्रप्रयाग

प्रतिलिपि– श्रीमान जिलाधिकारी महोदय रूद्रप्रयाग को सूचानार्थ प्रेषित।

| नाम | हस्ताक्षर |
|---|---|
| (1) सर्वेश्वर प्रसाद गौड़ | [signature] |
| (2) रजपालसिंह | रजपालसिंह |
| (3) प्यारे लाल | प्यारे लाल |
| (4) पारेश्वर | [signature] |
| मायाराम गौड़ | मायाराम गौड़ |
| शान्ति देवी | शान्ति देवी |
| दर्शनलाल वार्डसदस्य | दर्शनलाल |
| कमला देवी | कमला देवी |

[signature]
वीरेन्द्र सिंह सिन्धवाल
वीरेन्द्र प्रमुख
जखोली

Seema Bisht
सदस्य
क्षेत्र पंचायत सुमाड़ी
वि0ख0 - जखोली
जनपद - रुद्रप्रयाग

प्रधान ग्राम पंचायत सेमा
ह0 [signature]
दि0 ......
वि0 ख0 जखोली

उपर्युक्त विषयक

Index 3704 2019-20

http://10.129.97.24/pgia/testReport.aspx?code=30513&catCode=3

Print

Others

# कार्यालय जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग

संख्या:30513/31-विविध/2019-2020 दिनांक रुद्रप्रयाग 04-Jun-2020

सेवा में

उपजिलाधिकारी
जखोली

विषय: पाटुली धार तोक से सुमाड़ी/सेमा विराणगांव जाखाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु पुनः जाँच के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक श्री/श्रीमती गोपाल सिंह पुत्र/पुत्री/पत्नी श्रीसमस्त क्षेत्रीय जनता एवं जन प्रतिनिधि निवासी ग्राम विराणगांव जनपद रुद्रप्रयाग द्वारा एक शिकायती पत्र/प्रस्ताव दिनांक 04-06-2020 इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है,जिसे इस कार्यालय की शिकायती पंजिका/कंप्यूटर क्रमांक 30513 में अंकित किया गया है।

अतः आपको उपरोक्त प्राप्त प्रार्थना पत्र की मूल प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि आप 15 दिन के अंदर नियमानुसार कार्यवाही करें तथा कृत कार्यवाही से आवेदक एवं इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करे।
संलग्न: यथोपरि

भवदीय,

प्रभारी अधिकारी
कृते जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग

प्रतिलिपि:श्री/श्रीमती/कु० गोपाल सिंह पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री समस्त क्षेत्रीय जनता एवं जन प्रतिनिधि निवासी ग्राम विराणगांव जनपद रुद्रप्रयाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभारी अधिकारी
कृते जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग





Shot on OnePlus
By Mr.RiTikThakur1100

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड

39 दिनांक

3704 2010

04/A o(R)

Ex EH का मन्तव्य लें

DM
04/07/20

प्रेषक,

उप जिलाधिकारी,
जखोली ।

सेवा में,

जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग ।

संख्या–~~40~~/एस0टी0–विविध–2020 दिनांक, 03 जुलाई 2020

विषय :– पाटुलीधार तोक से सुमाड़ी–सेमा–विराणगांव–जाखाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु पुनः जांच के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या–30513/31–विविध (2019–120 दिनांक 04 जून 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उक्त मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में 15 दिन अन्दर कार्यवाही कर आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए है ।

AOR

उक्त के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 02–07–2020 को नायब तहसीलदार जखोली, श्री मनोज नेगी, श्री अमित चौधरी कनिष्ठ अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 रुद्रप्रयाग तथा क्षेत्रीय राजस्व उप निरीक्षक को साथ लेकर प्रधान ग्राम पंचायत सेमा/प्रधान ग्राम पंचायत लडियासू/प्रधान ग्राम पंचायत लावडी तथा सदस्य क्षेत्र पंचायत डांगी भरदार/सदस्य क्षेत्र पंचायत सुमाडी को मौके पर बुला कर लावडी–लडियासू–विराणगांव–जाखाल मोटर मार्ग एवं सुमाडी–विराणगांव –जाखाल मोटर मार्ग निर्माण विषयक स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसमें ग्राम–सेमा, लडियासू, विराणगांव, जाखाल के सामाजिक कार्यकर्ताओं व गणमान्य व्यक्तियों को भी आमन्त्रित किया गया तथा उक्त मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में उनकी राय/ मन्तव्य को जाना गया । पाटुलीधार (सुमाडी) अथवा लावडी तोक में से किस स्थान से मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना जनहित में उचित होगा ? इस विन्दु पर मौके पर उपस्थित जन प्रतिनिधियों /सामाजिक कार्यकर्ताओं/गणमान्य व्यक्तियों की राय ली गयी /मन्तव्य जाना गया ।

पाटुलीधार तोक (सुमाड़ी)–सेमा–लडियासू–जाखाल मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में ग्राम सेमा–विराणगांव–जाखाल के जनप्रतिनिधियों एवं आम जन मानस ने पाटुलीधार तोक (सुमाडी) से मोटर मार्ग का निर्माण किए जाने हेतु अपनी सहमति दी है तथा यह भी अवगत कराया है कि इस स्थान से मोटर मार्ग का निर्माण होने से ग्राम सेमा, लडियासू, विराणगांव एवं जाखाल के सभी ग्रामवासी लाभान्वित होगें, जबकि लावडी–लडियासू मोटर मार्ग के निर्माण से मात्र ग्राम लडियासू ही लाभान्वित हो रहा है तथा ग्राम सेमा की आबादी से यह मोटर मार्ग 250 मीटर दूरी से जा रहा है । स्थान पाटुलीधार (सुमाडी) तोक से जाखाल वाला मोटर मार्ग 08 किमी0 लम्बा है और लावडी–लडियासू मोटर मार्ग लगभग 4 किमी0 है, किन्तु लावडी–लडियासू मोटर मार्ग बनने से ग्राम विराणगांव–जाखाल की जनता लाभान्वित नहीं हो रही है । जबकि पाटुलीधार (सुमाडी) सेमा–लडियासू–विराणगांव–जाखाल मोटर मार्ग के निर्माण से क्षेत्र की समस्त जनता लाभान्वित हो रही है ।

निरीक्षण के समय मौके पर उपस्थित ग्राम–सेमा, लडियासू, विराणगांव के जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, गणमान्य व्यक्तियों का मन्तव्य/राय जानने के पश्चात अधोहस्ताक्षरी के समक्ष मुख्यतः दो बिन्दु उभर कर आए हैं :–

Shot on OnePlus
By Mr.RiTikThakur1100

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड
-739 दिनांक

1- लावडी-लडियासू मोटर मार्ग लगभग 4 किमी0 स्वीकृत है, जिसकी पत्रावली भारत सरकार में लम्बित है ।

2- पाटुलीधार (सुमाडी) सेमा-लडियासू-विराणगांव-जाखाल मोटर मार्ग लगभग 08 किमी0 है तथा इस मोटर मार्ग की पत्रावली नोडल स्तर पर लम्बित है । इस मोटर मार्ग के बनने से ग्राम-सेमा-लडियासू-विराणगांप-जाखाल की ससस्त जनता लाभान्वित होगी । कनिष्ठ अभियन्ता लो0नि0वि0 रुद्रप्रयाग द्वारा मौके पर उपलब्ध करायी गयी दोनों मोटर मार्गो की रुट मैप (मानचित्र) की छाया प्रति संलग्न है ।

क्षेत्रीय जनता की राय/मन्तव्य जाने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि पाटुलीधार (सुमाडी) -सेमा लडियासू - विराणगांव-जाखाल मोटर मार्ग एव लावडी-लडियासू मोटर मार्ग में से पाटुलीधार (सुमाडी)-सेमा-लडियासू-विराणाव जाखाल मोटर मार्ग का जनहित में निर्माण किया जाना उचित होगा, जिससे ग्राम-सेमा, लडियासू, विराणगाव व जाखाल की समस्त जनता लाभान्वित होगी ।

अतः आख्या सादर सेवा में प्रेषित ।

भवदीय,

(एन0एस0 नगन्याल )
उप जिलाधिकारी,
जखोली ।

Aor

Shot on OnePlus
By Mr.RiTikThakur1100

**दिनांक 15.07.2020 को जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग की अध्यक्षता में ग्राम लावडी –लडियासू– जाखाल मोटर मार्ग निर्माण के समरेखण में हो रहे विवाद/समस्या के सम्बन्ध में आयोजित बैठक का कार्यवृतः–**

**उपस्तिथिः–**

1. श्री इन्द्रजीत बोस, अधिशासी अभियन्ता, प्रा0ख0, लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग।
2. श्रीमती शालिनी मौर्य, तहसीलदार, जखोली।
3. श्री मनोज नेगी, जे0ई0 प्रा0ख0, लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग।
4. श्री अमित चौधरी, जे0ई0 प्रा0ख0, लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग।
5. श्रीमती ज्योति देवी, सदस्य जिला पंचायत सुमाडी भरदार।
6. श्रीमती सीमा विष्ट, सदस्य क्षे0पं0 सुमाडी भरदार।
7. श्री भाषकर, सदस्य क्षे0पं0 तुनेटा भरदार।
8. श्री लखपति शाह, प्रधान ग्राम पंचायत लडियासू ।
9. श्रीमती शशि नौटियाल, प्रधान ग्राम पंचायत सेमा।
10. श्रीमती अनिता देवी, ग्राम डांगी जाखाल ।
11. श्रीमती अंजना देवी, ग्राम डांगी भरदार।
12. श्री डी0एल0शाह0, प्रदेश अध्यक्ष, शि0जा0मि0 उत्तराखण्ड।
13. श्री प्रदीप सिंह, ग्राम लावडी ।
14. श्री पी0डी0 भट्‌ट, ग्राम लडियासू ।
15. श्री अनूप सिंह, ग्राम विराणगॉव।
16. गोपाल सिह, ग्राम विराणगॉव।
17. राजेन्द्र सिंह, ग्राम विराणगॉव।
18. बीरेन्द्र सिंह, ग्राम लडियासू।

–– 00 ––

सर्व प्रथम बैठक में उपस्थित समस्त प्रधानगण, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, व जनप्रतिनिधिगण एवं अधिकारी, कर्मचारियों का अभिनन्दन करते हुये सभी जनप्रतिनिधियों का परिचय लिया गया, तत्पश्चात बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई ।

लावड़ी–लडियासू–जाखाल मोटर मार्ग के संरेखण में समस्त क्षेत्रीय जनता एवं जनप्रतिनिधि विकास खण्ड जखोली के द्वारा दिनांक 30.05.2020 को अपने संयुक्त हस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र के द्वारा पाटुलीधार तोक से सुमाड़ी–सेमा– विराणगांव– जाखाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रार्थना पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया गया है, कि तत्कालीन जिलाधिकारी, द्वारा उप जिलाधिकारी जखोली को सुमाड़ी–सेमा– विराणगांव जाखाल मोटर मार्ग के संबंध में आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था, किन्तु उप जिलाधिकारी जखोली द्वारा स्थलीय निरीक्षण न करते हुये सुमाड़ी में एक बैठक आहुत की गयी थी, जिसके आधार पर उप जिलाधिकारी द्वारा अपनी आख्या जिलाधिकारी को प्रस्तुत की गयी। उक्त रिपोर्ट से क्षेत्रीय जनता सन्तुष्ट न होने के कारण पुनः अधोहस्ताक्षरी के स्तर से उक्त मोटर मार्ग के स्थलीय निरीक्षण करवाये जाने हेतु उप जिलाधिकारी जखोली से अनुरोध किया गया। इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा पुनः उप जिलाधिकारी जखोली एवं अवर अभियन्ता, लो0 नि0 वि0 रूद्रप्रयाग को सम्बन्धित जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में संयुक्त निरीक्षण कर समाधान करने के निर्देश दिये गये।

प्रश्नगत प्रकरण में उप जिलाधिकारी, जखोली ने अपने पत्र संख्या– 484/एस0टी0–विविध–2020 दिनांक 03 जुलाई 2020 में उल्लेख किया है कि दिनांक 02.07.2020 को नायब तहसीलदार, जखोली श्री मनोज नेगी, श्री अमित चौधरी, क0 अभि0 प्रान्तीय खण्ड लो0 नि0 वि0 रूद्रप्रयाग तथा क्षेत्रीय राजस्व उप निरीक्षक, को साथ लेकर प्रधान ग्राम पचांयत सेमा, / प्रधान ग्राम पंचायत लडियासू/प्रधान ग्राम पंचायत लावड़ी तथा सदस्य क्षेत्र पंचायत डांगी भरदार/ सदस्य क्षेत्र पंचायत सुमाड़ी को मौके पर बुलाकर लावड़ी– लडियासू– विराणगांव – जाखाल मोटर मार्ग एवं सुमाड़ी– विराणगांव– जाखाल मोटर मार्ग निर्माण विषयक स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसमें ग्राम सेमा– लडियासू–विराणगावं– जाखाल के साामाजिक कार्यकर्ताओं व गणमान्य व्यक्तियों को भी आमन्त्रित किया गया। उक्त मोटर मार्ग के निर्माण के संबंध में उनकी राय/ मन्तव्य को जाना गया।

पाटुलीधार तोक (सुमाड़ी) सेमा– लडियासू – जाखाल मोटर मार्ग निर्माण के संबंध में ग्राम समा– विराणगांव– जाखाल के जनप्रतिनिधियों एवं आम जनमानस ने पाटुलीधार तोंक सुमाड़ी से मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने हेतु अपनी सहमति दी है। पाटुलीधार तोक (सुमाड़ी) मोटर मार्ग का निर्माण होने से ग्राम सेमा–लडियासू– विराणगांव एवं जाखाल के सभी ग्रामवासी लाभान्वित होंगें, जबकि लावड़ी–लड़ियासू मोटर मार्ग के निर्माण से मात्र ग्राम लड़ियासू ही लाभान्वित हो रहा है।

उप जिलाधिकारी, जखोली के द्वारा अवगत कराया गया है कि स्थलीय निरीक्षण के समय ग्राम सेमा– लडियासू– विराणगांव के जनप्रतिनिधियों ,सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं गणमान्य व्यक्तियों का मन्तव्य एवं राय जानने के पश्चात मुख्यतः 02 बिन्दु उभर कर आये है,जो निम्नवत हैः–

1– लावड़ी– लड़ियासू मोटर मार्ग लगभग 04 कि0 मी0 स्वीकृत है, जिसकी पत्रावली भारत सरकार में लम्बित है।

2– पाटुलीधार (सुमाड़ी) सेमा– लडियासू– विराणगांव– जाखाल मोटर मार्ग लगभग 08 कि0 मी0 है, तथा इस मोटर मार्ग की पत्रावली नोडल स्तर पर लम्बित है। इस मोटर मार्ग के बनने से ग्राम सेमा– लड़ियासू– विराणगांव –जाखाल की समस्त जनता लाभान्वित होगी।

उप जिलाधिकारी जखोली के द्वारा अपना अन्तिम निष्कर्ष दिया गया है कि पाटुलीधार (सुमाडी)–सेमा– लड़ियासू– विराणगांव– जाखाल मोटर मार्ग एवं लावड़ी –लडियासू मोटर मार्ग में से पाटुलीधार (सुमाडी)–सेमा– लड़ियासू– विराणगांव– जाखाल मोटर मार्ग का जनहित में निर्माण किया जाना उचित होगा, जिससे ग्राम सेमा– लड़ियासू – विराणगांव व जाखाल की समस्त जनता लाभान्वित होगी।

उप जिलाधिकारी जखोली की पूर्व प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 27.01.2020 एव दिनांक 03.07. 2020 में विरोधाभाष पाये जाने पर दिनांक 15.07.2020 को सम्बन्धित ग्रामीणों की उपस्थिति में अधोहस्ताक्षरी द्वारा ग्राम लावड़ी–लड़ियासू– जाखाल मोटर मार्ग एवं पाटुलीधार ( सुमाड़ी)– सेमा– लड़ियासू– विराणगांव– जाखाल मोटर मार्ग के संबंध में वार्ता की गयी, जिसमें निर्णय लिया गया है कि पाटुलीधार ( सुमाड़ी) सेमा– लड़ियासू– विराणगांव– जाखाल मोटर मार्ग का सभी जनप्रतिनिधियों द्वारा 08 कि0 मी0 निर्माण करने की सहमति दी गयी। बैठक में यह भी निर्णय

–३–

952 DCRC
04 | 08 | 2020



लिया गया कि ग्राम प्रधान सेमा, विराणगांव अपने ग्रामवासियों व ग्राम कर्णधार तुनेटा के कास्तकारों से जिनकी भूमि मोटर मार्ग निर्माण में कट रही है विशेष रूप से ग्राम सेमा के निवासी जिनकी नाप भूमि उक्त संरेखण में कट रही है, से शपथ पत्र लिये जायेगें। सम्बन्धित कास्तकार अनापत्ति प्रमाण पत्र व शपथ पत्र लिखित रूप से इस आशय का प्रस्तुत करगें कि उनके द्वारा इस मोटर मार्ग निर्माण में किसी भी प्रकार का ब्यवधान / आपत्ति नहीं की जायेगी। सम्बन्धित प्रधानगण एक सप्ताह के अन्तर्गत अन्नापत्ति/ शपथ पत्र जिला कार्यालय में प्रस्तुत करगें। अधिशासी अभियन्ता, प्रा0 ख0, लो0 नि0 वि0 रूद्रप्रयाग को निर्देश दिये गये कि सम्बन्धित प्रधानगणों से अनापत्ति / शपथ पत्र प्राप्त होने के उपरान्त पाटुलीधर – सुमाड़ी– सेमा– लड़ियासू– विराणगांव मोटर मार्ग निर्माण के संबंध में शीध्र यथोचित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

**(कार्यवाहीः प्रधानगण सेमा, वीराणगॉव/अधिशासी लो0नि0वि0 प्रा0ख0 रूद्रप्रयाग,)**

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि यदि सम्बन्धित प्रधानगणों के द्वारा अनापत्ति/शपथ पत्र समय से प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो अधिशासी अभियन्ता, प्रा0ख0,लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग, पूर्व में प्रस्तावित लावडी–लड़ियासू मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।

**(कार्यवाहीः अधिशासी लो0नि0वि0 प्रा0ख0 रूद्रप्रयाग,)**

RKC
24-07-2020

ह0/–
(वन्दना सिंह)
जिलाधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

**।। कार्यालय जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।।**

संख्या– 11047 /24– 01 (2019–2020) रूद्रप्रयाग दिनांक जुलाई 22, 2020

2417

**प्रतिलिपिः–** निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0 प्रा0ख0 रूद्रप्रयाग।
2. तहसीलदार, जखोली।
3. प्रधान, ग्राम पंचायत सेमा,/लडियासू,/वीराणगॉव, विकास खण्ड जखोली।
4. सदस्य, क्षेत्र पंचायत, सुमाडी/तुनेटा विकास खण्ड जखोली।
5. सदस्य, जिला पंचायत सुमाडी भरदार जनपद रूद्रप्रयाग।
6. उपस्थित अन्य जनप्रतिनिधिगण ।

जिलाधिकारी,
रूद्रप्रयाग।